निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 396) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

सं० 8/आरोप–01–118/2015–6080/सा०प्र०

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

24 जून 2020

श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–668/2011 तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–104 दिनांक 08.01.2016 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध निगम मुख्यालय द्वारा मिलो से एकरारनामा करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, परिवहन हेतु अधिक दूरी दर्शाने, सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पूर्व अग्रिम राशि का भुगतान करने, सी0एम0आर0 एवं अन्य खर्च में प्रति क्वी0 अधिक व्यय करने एवं अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 1305 दिनांक 27.01.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 68 दिनांक 08.02.2016) समर्पित किया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2961 दिनांक 26.02.2016 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 210 दिनांक 15.01.2020 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित कर श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच कराये जाने की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–668/2011 तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार,

पटना होगें एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 396-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in